रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04072026-274101
CG-MH-E-04072026-274101

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3326] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948
No. 3326] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 19 जून, 2026

का.आ. 3460(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चिम उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चात रेलवे) की अधिसूचना संख्या 2504 का.आ. 2568 (अ) तारीख १२ जून २०२५ द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण,भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii),तारीख १२ जून २०२५ में प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनु सूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर परिवहन परियोजना-III के अंतर्गत पश्चिम रेलवे पर विरार और दहानू रोड के बीच तीसरे और चौथे रेलवे स्टेशन का निर्माण, देखभाल, व्यवस्थापन और कामकाज के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचारपत्रों, अर्थात "फ्री प्रेस जनरल"(अंग्रेजी) तारीख ४ जुलाई ,२०२५ और"लोकमत "मराठी तारीख ४ जुलाई ,२०२५ को प्रकाशित किया गया था; और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किये गए थे; और,सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है ;अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की

जायेगी ;यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमी सभी विलंग मों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जायेगी |

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर परिवहन परियोजना- ।।। के अंतर्गत पश्चिम रेलवे पर विरार - दहानू रोड रेलवे स्टेशनो के दरम्यान चौपद्रीकरण विशेष रेलवे प्रकल्पो के लिए महाराष्ट्र राज्य के वसई तालुका , जिला पालघर में अधि ग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमी का संक्षिप्त विवरण

क्रम. सं.	ग्राम का नाम	स. न	तहसील	जिला	संपादित क्षेत्र (हेक्टर में)
१	विरार	206	वसई	पालघर	०.०६.३५

[फा. सं. इ - 25840-37]

मुकेश कुमार, मुख्य इंजीनियर (नि)- ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Western Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th June, 2025

S.O. 3460(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Western Railway), number S.O. 2568, Dated 12* June, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 03, Sub-Section (ii), dated the 12" June, 2025 and issued under the sub-section(1) of section 20E of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of a Special Railway Project namely, Quadrupling of Virar-Dahanu Corridor on Western Railway, of MUTP III Projects in the district of Palghar in the State of Maharashtra; And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, he Free Press Journal (English), dated the 04th July, 2025 and Lokmat (Marathi) dated the 04th July, 2025 under the sub-section (4) of section 20A of the said Act; whereas, no objections were received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government; Now therefore, upon receipt of the report of the Central Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; And further, in pursuance of subsection (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the special Railway Project, namely, Quadrupling of Virar – Dahanu Corridor on Western Railway, of MUTP-III Projects in Vasai Taluka, District Palghar in the State of Maharashtra.

Sr. No.	Name o Village	Tehsil	District	Survey Number/ Gut Number	Area in Hectare
1	Virar	Vasai	Palghar	206	0.06.35

[F. No. E-25840-37]

MUKESH KUMAR, Chief Engineer (C)-I

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.07.04 13:40:05 +05'30'